न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी – 3496/2018/धार/भू.रा

1. कृष्णा पिता बुदिया जाति भील आयु 32 वर्ष
2. सालिगराम पिता बुदिया, जाति भील, आयु 30 वर्ष
3. द्रोपतीबाई बेवा बुदिया जाति भील, आयु 60 वर्ष

निवासी–ग्राम सागर (मांडव) तह. व जिला धार म0प्र0 ....**निगरानीकर्तागण**

श्री .... द्वारा आज दि0 06.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

गोविन्द पिता बुदिया जाति भील, आयु 34 वर्ष
धन्धा–खेती, निवासी–ग्राम सागर (मांडव)
तह.व जिला धार म0प्र0

........**विपक्षी**

<u>निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मुजब</u>

(राजस्व अपील प्रकरण कमांक 9/2016–17 निर्णय दिनांक 20/03/2018 द्वारा जो आज्ञा दी उसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है)

मान्यवर महोदय,

सेवा में, निवेदन है कि यथाकथित मूल अपीलांट गोविन्द की अपील बेरून मियाद है मियाद क्षमा बाबद आधार नहीं है जिस आज्ञा दिनांक 28/05/2011 जो पंजी कमांक 5 पर से आज्ञा हुई थी उसके 6 बरस अधिक समय बाद अपील है 6 बरस का कोई संतोष जनक कारण नही है हमारा विरोध है उसके बावजूद मात्र आवेदन 'स्वीकार कहकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार ने राजस्व प्रकरण कमांक 9/2016–17 में आज्ञा दिनांक 20/03/2018 को दी जो अवैध बिना बोलता हुआ आदेश होने से उसे अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज नकल के दिन मुजरा जाते निम्नानुसार सादर सदभावनापूर्वक अन्दर अवधि पेश है :–

<u>आधार निगरानी</u>

1. यह कि यथाकथित आज्ञा दिनांक 20/03/2018 अवैध है अधिकाररहित है बिना वाजिब कारण के अर्जी में इतना लंबा समय कंडोन नहीं हो सकता है विधि स्पष्ट है अतः आदेश बोलता हुआ न होने से अपास्त होना अर्ज है ।
2. यह कि दिनांक 20/03/2018 का आदेश, आदेश की परिभाषा में नही आता है ।
3. यह कि कारण वाजिब नही है विरोध लिये हुए है । ऐसी दशा में सविस्तार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3496/2018/धार/भू.रा. जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	